

कार्यालय अंचल अधिकारी, करा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०- 305 / 16-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; transform: rotate(-45deg);">05.10.2020</p>	<p style="text-align: center;">झारखण्ड सरकार के झापाक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>गुमरू</u> थाना नं० <u>30</u> खाता नं० <u>73/2</u> खेसरा नं०..... रकबा <u>1.96</u> एकड. की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर जमाबंदी रैयत <u>मदन सिंह</u> पिता/पति <u>मतीनाथ सिंह</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>05/10/2020</u> का रखें। लेखापाल एवं संशोधित अंचल अधिकारी</p>	<p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी करा</p>

आदेश का कमांक/दिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
16.10.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख संलग्न है। जमाबंदी रैयत मदनु सिंह पिता मनीनाथ सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है, जो बिन्दु वार निम्नवत है:-</p> <p>खतियान की स्थिति:- सर्वे खतियान में खाता सं० 73 गैरमजुरूआ खास दर्ज है।</p> <p>पंजी ii की स्थिति :- मांग पंजी ii भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 117 में दर्ज जमाबंदी रैयत मदनु सिंह पिता मनीनाथ सिंह के नाम से खाता सं० 73/2 कुल रकबा 1.96 एकड़ भूमि बिना आधार का दर्ज है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • मांग पंजी 2 में वर्ष 1987-88 दर्ज है, किन्तु लगान रसीद प्रवृष्टि नहीं है। <p>दखल कब्जा की स्थिति:- जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता सं० 73/2 कुल रकबा 1.96 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।</p> <p>स्थल जाँच:- जमाबंदी रैयत या इनके वंशज मौजा गुमडू में नहीं रहते हैं।</p> <p>सुनवाई:- जमाबंदी रैयत वंशज या अन्य कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 170 में दर्ज खाता सं० 73/2 कुल रकबा 1.96 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा गुमडू थाना सं० 30, खाता सं० 73/2 कुल रकबा 1.96 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखामित्त संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	<p>अंचल अधिकारी करा।</p>